संख्याः 1094/आ-9-11-157 ज/11

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास विभाग,
लखनऊ ।

सेवामें,

1– समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उततर प्रदेश ।
2– समस्त महाप्रबन्धक (जलकल)
नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 16 मई , 2011

विषय :: जलापूर्ति सम्बंधी अवस्थापनाओं के रख रखाव के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि गर्मी का मौसम प्रारम्भ हो चुका है और इसके साथ ही नगरों में पेयजल की समस्या भी समाचार पत्रों से उजागर होने लगी है। नगरीय स्थानीय निकायों की विभिन्न समीक्षाओं में यह पाया गया है कि नगरीय स्थानीय निकायों में जलापूर्ति सम्बंन्धी विद्यमान अवस्थापनाओं का पूरा पूरा उपयोग कतिपय कारणों से नहीं हो पा रहा है। शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि ओवरहेड टैंक बने हुए हैं परन्तु उनको उपयोग में न लाकर पाइप लाइन में सीधी जलापूर्ति की जा रही है, जिसके कारण पाइप लाइन में वाटर प्रेशर कम होने के कारण पानी भूतल से ऊपर नहीं जा पाता है। कुछ ऐसे भी ओवरहेड टैंक, और ट्यूब वेल हैं जिनकी समय से मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। ऐसी अवस्थापना सुविधाओं का मरम्मत नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा समय से न कराये जाने के कारण उनका पूरा लाभ नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। बढती हुयी गर्मी को देखते हुए जनहित में यह नितान्त आवश्यक है कि जलापूर्ति के प्रत्येक संसाधन और अवस्थापना का भरपूर उपयोग करते हुए समुचित जलापूर्ति की व्यवस्था प्रत्येक दशा में करायी जाय।

2– वर्तमान में नगरीय स्थानीय निकायों के पास राज्य वित्त आयोग एवं 13 वें वित्त आयोग की संस्तुति आधारित संकमण की धनराशि के साथ साथ स्वयं की कर एवं करेत्तर आय की धनराशि तथा अवस्थापना विकास निधि आदि की धनराशि उपलब्ध हैं। इस

क्रमशः पृष्ठ–2

धनराशि में से अधिष्ठान खर्च को घटाने के उपरान्त भी लगभग सभी नगरीय स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त धनराशि विकास कार्यो हेतु अवश्य बच रही है। यह देखा गया है कि इस बची हुयी धनराशि से अधिकांश नगरीय स्थानीय निकाय सडक और नाली जैसे विकास कार्य करा रहे हैं, जबकि ज्वलंत पेयजल समस्या समाधान हेतु जलापूर्ति सम्बन्धी अवस्थापना की मरम्मत आदि का कार्य उपरोक्त धनराशियों में से कराया जा सकता है। इस निमित्त उ0प्र0 जल निगम से तकनीकी परामर्श लेकर इसी संस्था को एजेन्सी के रूप में धनराशि देकर ओवरहेड टैंक, ट्यूब वेल आदि के तात्कालिक उपयोग, मरम्मत आदि का कार्य कराया जा सकता है। इस प्रकार से सभी नगरीय स्थानीय निकाय ओवरहेड टैंक, और ट्यूब वेल जैसी अवस्थापना की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करके अधिकतम जलापूर्ति का लाभ नागरिकों को प्रदान कर सकते है।

3– अस्तु, उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिन प्रति दिन बढती गर्मी को दृष्टिगत करते हुये जनहित में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाय ओर कृत कार्यवाही एवं मरम्मत योग्य अवशेष अवस्थापना सम्बधी सूचना निदेशक,स्थानीय निकाय को ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाय। मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक एवं क्षेत्रीय नगर निकायों की समीक्षा बैठक में इस सम्बंध मे की गई कार्यवाही की गहन समीक्षा की जाएगी।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक,स्थानीय निकाय,उत्तर प्रदेष ।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,उत्तर प्रदेश।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को इस निर्देश के साथ कि कृपया क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि वे नगर निकायों द्वारा पेयजल आपूर्ति संबंधित इंगित कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करायें साथ ही नगर निकायों को मरम्मत योग्य अवस्थापना सुविधाओं के सम्बंध मे समुचित परामर्श दें।

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव